(2)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 182/2022

राकेश कुमार सैनी पुत्र श्री कैलाशचन्द्र, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 11, गढला खुर्द, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं जरिये मुख्तायार श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री पालसिंह, जाति राजपुत, निवासी गुडा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सुपुर्दगी वाहन नं0 आरजे 18 जीबी 4010 उनवानी मु0 सरकार बनाम ओमपाल सिंह अपराध अ0 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 220/22 पुलिस थाना खेतडी।

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री विक्रम सिंह दूलड— प्रार्थी की ओर से
2. श्री कमल मीणा, विभागीय प्रतिनिधि— राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 29.06.2026

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी का वाहन जप्त है। जिसको प्रार्थी जरिये मुख्तायार अपनी सुपुदर्गी पर लेना चाहता है। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना में खुले में खडा होने के कारण धूल व धूप से खराब होने का पूरा—पूरा अन्देशा बना हुआ है। प्रार्थी को अपने वाहन की हर समय जरूरत रहती है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त वाहन नं0 आरजे 18 जीबी 4010 सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, खेतडी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, खेतडी से पत्रांक 7248 दिनांक 28.06.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि दिनांक 06.05.2022 को श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस वृताधिकारी वृत खेतडी ने मय फर्दात के एक एफआईआर इस आशय की पंजीबद्ध करवाई है कि आज दिनांक 06.05.2022 को समय 09.30 पीएम पर मन राजेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी खेतडी को श्री विनोद सांखला पु0नि0 थानाधिकारी खेतडी ने सूचना दी कि निजामपुर मोड पर श्री हरिराम एचसी न0 50 मय जाप्ता के नाकाबन्धी कर रहा था नाकाबन्धी के दोरान एक पीकअप अवैध रूप से 11 ड्रम डीजल के परिवहन करते हुई को पकडा है। इस इतला पर मन राजेश कुमार आरपीएस वृ[illegible] कानि0 श्री राजेश कुमार नं0 885, श्री दिनेश न0 894 मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटाप [illegible] प्राईवेट वाहन के कार्यालय से रवाना होकर समय 09.45 पीएम पर निजामपुर [illegible] न0 50 व श्री मदनलाल कानि0 न0 1589 चौकी निजामपुर मोड [illegible] मिले। जिन्होने [illegible] व्यक्ति को बैठा रखा था तथा वही पर एक पीकअप खडी थी श्री हरिराम एचसी न0 50 [illegible] बताया कि उच्चाधिका[illegible] आदेश से अवैध वाहनो व बदमासान की चैकिग हेतु नाकाबन्धी कर रहा [illegible] नाकाबन्दी के दौरान [illegible] की तरफ से एक पिकअप आई, जिसको चैक किया तो पीकअप ने 11 ड्रम डीजल के भरे हुये थे चालक के पास डीजल परिवहन करने का कोई लाईसेन्स नही है। मन राजेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी खेतडी ने अपने नाम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर [illegible]

पद का परिचय देकर जाप्ता द्वारा पूर्व से बैठाये व्यक्ति को नाम पता पूछा तो अपना नाम ओमपाल सिंह उर्फ बबलु पुत्र श्री शिवपालसिह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी गुडा थाना गुढागौडजी होना बताया। पिकअप में क्या होने बाबत पुछा तो पिकअप में हरियाणा से ड्रमो में डीजल भरकर राजस्थान में ब्रिकी हेतु लेकर आना बताया। पिकअप को चैक किया तो पीछे डाला के लकडी के फट्टे लगे हुये है और डाला में डीजल भरे हुये ड्रम रखे हुये है। चालक को डीजल परिवहन करने बाबत लाईसेन्स/परमिट मांगा तो अपने पास कोई लाईसेन्स/परमिट नही होना बताया। चालक ओमपालसिंह उर्फ बबलु द्वारा बोलेरो पिकअप में बिना लाईसेन्स/परमिट के डीजल भरकर हरियाणा से राजस्थान में ब्रिकी हेतु लेकर आना तथा परिवहन करना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खिलाफ वर्जी करना पाया जाने पर पिकअप व ड्रमों को चैक करने हेतु स्वतंत्र गवाहान को गवाह बनाने हेतु गवाह लेकर आने हेतु श्री दिनेश कानि न0 894 को रवाना किया गया जिसने कुछ समय पश्चात आकर बताया कि लोगो ने गवाह बनने से इनकार कर दिया। ऐसी सूरत में श्री हरिराम एचसी न0 50 व श्री मदनलाल कानि न0 1589 को गवाह मामुर कर पिकअप को चैक किया तो पीछे डाला में अवैध रूप से कुल 11 बडे प्लास्टिक ड्रमों में प्रत्येक में करीब 200 लीटर डीजल कुल करीब 2200 लीटर डीजल भरा हुआ है। प्रत्येक डीजल ड्रम में से बतौर परीक्षण हेतु एक एक बोतल डीजल निकालकर शिल्ड मोहर बन्द कर मार्क A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K अंकित किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक ड्रम में से बतौर कन्ट्रौल सेम्पल हेतु एक एक बोतल डीजल निकालकर शील्ड मोहर बन्द कर मार्क A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1, G-1, H-1, I-1, J-1, K-1 अंकित किया गया। शेष सभी 11 ड्रम मय डीजल के उसी पिकअप के डाले में बतौर वजह सबूत रखे जाकर प्रत्येक ड्रम को शील्ड मोहर कर मार्क A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2, G-2, H-2, I-2, J-2, K-2 अंकित किया गया। बेचान सामग्री एक लोहे का 5 लीटर का नाप, एक लोहे का 2 लीटर का नाप, 1 प्लास्टिक कीप व प्लास्टिक पाईप को एक प्लास्टिक कट्टे में डालकर शील्ड मोहर कर मार्का L अंकित किया गया। पिकअप गाडी के नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नं0 RJ18 GB 4010 लिखे हुये व चेचिस नं0 MA1ZR2TBKH5F13116 चेचिस नं0 TBH4F85520 है। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू पुत्र श्री शिवपालसिह जाति राजपुत उम्र 38 साल निवासी गुडा थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनूं को अपने कर्दा जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिर0 किया गया। मौके से रवाना होकर जप्त शुदा पिकअप मय 11 डीजल भरे ड्रम मय बेचान सामग्री के आया हूं। एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे आदि पर प्रकरण संख्या 220/2022 दिनांक 06.05.2022 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान मन थानाधिकारी के जुम्मे किया गया है। दौराने अनुसंधान एफआईआर व फर्दात शामिल पत्रावली की गई। फर्दात पर लाल स्याही से मुकदमा नम्बर अंकित किये गये। बयान धारा 161 दंप्रसं श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस व गवाहान श्री हरिराम एचसी, मदनलाल कानि0, राजेश कानि0 व दिनेश कुमार के लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू से विस्तृत पूछताछ कर पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। आपराधिक रिकॉर्ड मुल्जिम ओमपालसिह को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। जप्तशुदा वाहन पिकअप नं0 आरजे 18 जीबी 4010 की मूल आरसी मुल्जिम ओमपाल सिंह उर्फ बबलु द्वारा जप्तशुदा गाडी से निकालकर पेश करने पर जरिये फर्द जप्ती मूल आरसी व विक्रय इकरारनामा कसीद कर शामिल पत्रावली की गई। नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट का दिया जाकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम ओमपाल सिह उर्फ बबलु द्वारा पेश करने पर शामिल पत्रावली की गई। मुल्जिम को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मय [illegible] नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मुल्जिम ओमपाल सिह उर्फ बबलू की निशादेही से [illegible] का नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। मुल्जिम ओमपाल [illegible] उर्फ बबलू ने पैट्रोल का ड्रम बरामद करवाने की इत्तला डर के बारे देना बताया [illegible] की गई। मुल्जिम ओमपाल सिह उर्फ बबलु ने अपनी जप्तशुदा पिकअप से डीजल खरीद [illegible] बिल पेश किये जो जरिये फर्द जप्ती जप्त किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। मुल्जिम ओमपाल सिंह उर्फ बबलू का विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे अब तक की तफ्तीश हासला, मौखिक व दस्तावेजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

साक्ष्यो, फर्द जप्ती अवैध डीजल से भरे हुये ड्रम मय बेचान सामग्री मय पिकअप, एफआईआर, चैक लिस्ट व फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबल, बयान धारा 161 दंप्रसं श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस व गवाहान श्री हरिराम एचसी, मदनलाल कानि, राजेश कानि व दिनेश कुमार, पूछताछ नोट मुल्जिम ओमपाल सिंह, आपराधिक रिकॉर्ड मुल्जिम ओमपाल सिंह, फर्द जप्ती मुल आरसी व विक्रय इकरारनामा पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीबी 4010 नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट व जवाब मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू व फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम ओमपाल सिह उर्फ बबलू नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, नक्शा मौका मय हालात मौका पैट्रोल पम्प निजामपुर हरियाणा निशादेही मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू खारीज इत्तला पैट्रोल का ड्रम बरामद करवाने, फर्द जप्ती डीजल खरीद के बिल पूछताछ नोट मुल्जिम ओमपाल सिह उर्फ बबलु आदि से पाया गया कि प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम ओमपाल सिंह उर्फ बबलु अपनी पिकअप गाडी नं आरजे 18 जीबी 4010 में हरियाणा राज्य से डीजल के ड्रम भरकर लाता है और राजस्थान राज्य में बेचान कर लाभ कमाता हैं हरियाणा राज्य में डीजल सस्ता है, जिस कारण से बिना बैध लाईसेन्स/परमीट के डीजल का अवैध परिवहन व बेचान कर लाभ प्राप्त करता है साथ ही सरकार को राजस्व हानि पहुचाना पाया गया है। प्रकरण के अब तक के अनुसंधान से मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू पुत्र श्री शिवपाल सिह जाति राजपुत उम्र 38 साल निवासी गुडा पुलिस थाना गुढागौडजी जिला झुझुनू के खिलाफ अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रमाणित हैं प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम ओमपालसिह उर्फ बबलू को पेश न्यायालय कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा प्रादर्श जमा एफएसएल कराकर रसीद प्रापत कर शामिल पत्रावली की गई। एफएसएल कैरियर श्री संतोष कानि0 1494 व मालखाना इंचार्ज श्री विजय सिंह एचसी नं0 38 के कथन लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। एफएसएल कैरियर की रवानगी व वापसी नकल रपट रोजनामचा आम तथा नकल मालखाना शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीबी 4010 के आरसी धारक राकेश कुमार सैनी को अनुसंधान हेतु उपस्थित आने हेतु नोटिस दिया जाकर तामिल गई नोटिस शामिल पत्रावली किया गया जप्तशुदा वाहन पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीबी 4010 के आरसी धारक राकेश कुमार सैनी को नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट का दिया जाकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये व आरसी धारक से अनुसंधान कर बयान धारा 161 दंप्रसं में पृथक से लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी से कानूनी राय प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप नं0 आर जे 18 जीबी 4010 को सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया जाता है तो कोई एतराज नही है। साथ ही प्रकरण में जप्तशुदा डीजल को थाने पर रखरखाव की व्यवस्था नही है। जप्तशुदा माल ज्वलनशील पदार्थ हैं, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः जप्तशुदा डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दू 1 के तहत नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी का वाहन जप्त है। जिसको प्रार्थी जरिये मुख्तायार अपनी सुपुदर्गी पर लेना चाहता है। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना में खुले में खडा होने के कारण धूल व धूप से खराब होने का पूरा–पूरा अन्देशा बना हुआ है। प्रार्थी को अपने वाहन की हर समय जरूरत रहती है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व [illegible] रने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उक्त वाहन नं0 आरजे 18 जीबी [illegible] गी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

विभागीय प्रतिनिधि ने वकील [illegible] करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 220/[illegible] डी मे अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आरजे 18 जीबी 4010 [illegible] उपयोग अवैध रूप से डीजल जो कि बिक्री के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्त डीजल की मात्रा 2200 लीटर (11 ड्रम प्रत्येक मे 200–200 लीटर डीजल, एक लोहे का 5 लीटर का नाम, एक लोहे का 2 लीटर का नाप, 1 प्लास्टिक कीप व प्लास्टिक पाईप) है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल वहां से लेकर आया है। प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए तथा 6बी के तहत डीजल 2200 लीटर मय 11 ड्रम, एक लोहे का 5 लीटर का नाम, एक लोहे का 2 लीटर का नाप, 1 प्लास्टिक कीप व प्लास्टिक पाईप एवं वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीबी 4010 का अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह जप्तशुदा डीजल 2200 लीटर मय 11 ड्रम, एक लोहे का 5 लीटर का नाम, एक लोहे का 2 लीटर का नाप, 1 प्लास्टिक कीप व प्लास्टिक पाईप खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष मे जमा करावें तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीबी 4010 को 5–5 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना खेतडी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:47 IST
Reason: SelfAttested